

राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई—डी.पी.आई.पी.

(तृतीय तल, बी ब्लॉक, योजना भवन सी-स्कीम, जयपुर, दूरभाष—2226175 फ़ैक्स—5104014)

प.1(22)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2005

जयपुर, दिनांक 11.12.2006

जिला परियोजना प्रबंधक,

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई,

बारां/चूरु/दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमंद/टोंक

विषय :- एनजीओ के टॉस्क बिलों के भुगतान के संबंध में ।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत कार्य कर रही सभी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अनुबंधानुसार टॉस्क बिल भुगतान हेतु द्विमासिक प्रस्तुत किये जाने है। उक्त टॉस्क बिलों का भुगतान जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्तर से किया जा रहा है ।

परियोजना के संदर्भ में दिनांक 30.11.06 –1.12.06 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यशाला में चर्चा अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं के बिलों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण गैर सरकारी संस्थाओं को परियोजना संचालन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि गैर सरकारी संस्थाओं के टॉस्क बिलों का भुगतान नियमानुसार बिल प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस में करना सुनिश्चित करें। संस्थाओं को किये गये भुगतान की सूचना संलग्न परिशिष्ट में तैयार कर प्रतिमाह 7 तारीख तक प्रेषित करें। इस संबंध में यदि आपके द्वारा कोताही बरती जाती है तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

संलग्न :- परिशिष्ट

(अभय कुमार)

राज्य परियोजना निदेशक

डीपीआईपी

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव. ग्रा.वि. एवं पंचायती राज, सचिवालय, जयपुर ।

2. निजी सहायक, सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज, सचिवालय, जयपुर ।

3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, गैर सरकारी संस्था.....

बारां/चूरु/दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमंद/टोंक

4. प्रबंधक (वित्त), डीपीआईपी, बारां/चूरु/दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमंद/टोंक

उप निदेशक, डीपीआईपी